

बिहार राज्य सहयोग कय-विकय संघ सीमित, पटना।

(बिस्कोमान)

आदेश

श्री अमरेंद्र कुमार सिंह तहसील नं० ३२ पटना जबा  
अधिप्राप्ति-केन्द्र पट्टरखा के प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे, तब मुख्यालय  
आदेशों यथा-ज्ञापांक-के०ले०बी/1678 दिनांक-23.11.2011 एवं ज्ञापांक-बी/1783 दिनांक-14.12.  
2011 का उल्लंघन कर दिनांक-23.11.2011 के बाद बैंक खाता से ₹ 11,24,678 की  
अवधि निकासी करने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में तत्काल के प्रभाव से निलम्बित  
किया जाता है।

1. निलम्बन अवधि में, इन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।
2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय वरीय क्षेत्र पदाधिकारी, बिस्कोमान,  
पट्टरखा  
निर्धारित किया जाता है।
3. इनके विरुद्ध आरोप-पत्र अलग-से निर्गत किया जाएगा।

6/1/14  
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक- अनं०-सं०सं०५०-1०३-२१-३०५५-६-1-2014 दिनांक-

- प्रतिलिपि:-
1. श्री अमरेंद्र कुमार सिंह तहसील नं० ३२ पटना जबा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियंत्री पदाधिकारी के निदेशानुसार अपने जिम्मे का प्रभार सौंपेंगे।
  2. संबंधित प्रमंडलीय/वरीय क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिस्कोमान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि उनके जिम्मे का प्रभार अपने अधीनस्थ कार्मिक को दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
  3. लेखा पदाधिकारी (स्थापना लेखा/केन्द्रीय लेखा), बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
  4. सभी पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ।
  5. प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/एन० डाटा ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।
  6. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6/1/14  
सचिव  
2-1-14